जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.)

आवश्यकतानुसार विद्यालय के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा विपत्र 2018–19

क्रम सं.	वाहनकाप्रकार	विवरण	दरप्रतिदिन मय ड्राईवर
1.	बोलेरो/ स्कार्पियो/ टवेरा (माडॅल 2015 एंव उससे बाद का)	स्थानीय बाजार, निकटवर्ती शहरों जैसे–आगरा, भरतपुर, ग्वालियर, करौली एंव अन्य सरकारी कार्य से राजस्थान में आने एंवजाने के लिये	

नियम एंव शर्ते : –

1. गाड़ी विद्यालय में विद्यालय की आवश्यकतानुसार मंगायी जायेगी । जिसे दूरभाष पर दिये गये आदेश के अनुसार 06 घण्टे के भीतर विद्यालय प्रागंण में उपलब्ध कराना होगा ।
2. दर प्रतिदिन मय ड्राईवर एंव बिना ड्राईवर के देनी हैं जिसमें डीजल विद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। जिसमे यात्रा के दौरान टोल एंव पार्किग आदि की राशि विद्यालय द्वारा वहन की जायेगी।
3. यात्रा अवधि में वाहन चालक को कोई चाय–पानी, नाश्ता, लंच एंव भोजन आदि के लिये कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी ।
4. वाहन में डीजल 12 किलोमीटर प्रतिलीटर की औसत दर से दिया जायेगा। (मय वातानुकुलित प्रयोग)
5. एक बार की मांग में निविदादाता से विद्यालय तक आने–जाने के लिये कुल 04 किलोमीटर दूरी का डीजल विद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।
6. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का बीमा एंव अन्य वाहन सम्बन्धित दस्तावेज पुरे होने चाहिये । यदि किसी कारण यातायात पुलिस द्वारा कोई चालान या दण्ड राशि वसूल की जाती हैं तो उक्त राशि निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी एंव इस कारण कार्य सम्पादन में हुयी देरी के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा ।
7. दर प्रतिदिन मय ड्राईवर एंव बिना ड्राईवर में स्वीकृत राशि के अलावा कोई अतिरिक्त राशि विद्यालय द्वारा वहन नहीं की जायेगी ।
8. दर मय ड्राईवर में यात्रा अवधि में वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती हैं तो उसके लिये निविदादाता पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा तथा उसका पुरा दायित्व उसका स्वयं का होगा । इस परिप्रेक्ष्य में होने वाली कोई मुआवजा राशि आदि विद्यालय द्वारा वहन नहीं की जायेगी ।
9. विद्यालय द्वारा मंगाये गये वाहन को तुरन्त विद्यालय में छोड़ना होगा एंव विद्यालय द्वारा कार्य समाप्ति के बाद वाहन को छोड़ा जायेगा । यदि निविदादाता द्वारा वाहन नहीं ले जाया जाता हैं तो कार्य अवधि का ही भुगतान किया जायेगा । किसी अन्य कार्य दिवस का नहीं ।
10. निविदा की दरें माह जून 2018 से 30.06.2019 तक मान्य होगी ।
11. एक माह में 20000/– एंव सम्पूर्ण वर्ष में 70000/– से अधिक का भुगतान विद्यालय द्वारा किया जाता हैं तो निविदादाता की 1 प्रतिशत आयकर कटौती की जायेगी।अतः निविदादाता का पैनकार्ड होना अनिवार्य हैं । यदि निविदादाता द्वारा पैनकार्ड की छायाप्रति विद्यालय में उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तो आयकर कटौती 20प्रतिशत की जायेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

For office use only

PAC Member Sign.

1.

2.

3.

4.

5.

घोषणा

मैंने प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर की सभी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को भली भॉति पढ़ लिया है एवं मैं उन्हें स्वीकार करता हूॅ । यदि पालन में कोई कमी रह जाती है तो मेरी धरोहर राशि जप्त की जा सकती है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम पता

दिनांक

दूरभाष नम्बर : ....

निविदादाता का बैक खाता सख्या : ....

बैक का नाम जहा खाता हैं : ....

बैक का IFSC Code : ....